

वित्त विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2014

क्रमांक एफ 2-12/2013/स्था/चार.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा, संचालनालय, छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

इन नियमों में,—

अनुसूची-एक, दो एवं तीन के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“अनुसूची-एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
		स्थायी	अस्थायी	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	संयुक्त संचालक	—	1	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15600—39100	7600
2.	उप संचालक, वित्त	—	1	1	राजपत्रित प्रथम श्रेणी	15600—39100	6600
3.	सांख्यिकी अधिकारी	—	1	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400
4.	प्रोग्रामर	—	1	1	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी	15600—39100	5400
5.	सहायक लेखा अधिकारी	—	2	2	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300
6.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	—	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300
7.	सहायक प्रोग्रामर	—	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	9300—34800	4300
8.	शीघ्रलेखक, हिन्दी	—	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800
9.	शीघ्रलेखक, अंग्रेजी	—	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2800
10.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	—	4	4	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400
11.	सहायक ग्रेड-दो	—	1	1	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	2400
12.	सहायक ग्रेड-तीन	—	3	3	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	1900
13.	वाहन चालक	—	2	2	अराजपत्रित तृतीय श्रेणी	5200—20200	1900
14.	भृत्य	—	3	3	अराजपत्रित चतुर्थ श्रेणी	4750—7440	1300

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती की प्रक्रिया

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	सेवा में पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			सीधी भर्ती हेतु समिति के सदस्य	टिप्पणियाँ
				सीधी भर्ती / चयन द्वारा नियम 6(1) (क) देखिये	पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1)(ख) देखिये	स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियम 6(1) (ग) देखिये		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा	1. संयुक्त संचालक	1	—	—	100%		राज्य वित्त सेवा की प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
		2. उप संचालक, वित्त	1	—	—	100%		राज्य वित्त सेवा की प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
		3. सांख्यिकी अधिकारी	1	—	—	100%		योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
		4. प्रोग्रामर	1	100%	—	—	1.अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का सदस्य- अध्यक्ष 2.प्रमुख सचिव/ सचिव, वित्त विभाग- सदस्य 3.संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली छत्तीसगढ़-सदस्य 4. यदि उपरोक्त समिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, तो संचालक वित्तीय प्रबंध एवं	

						सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ आरक्षित प्रवर्ग से वरिष्ठ अधिकारी को नामनिर्दिष्ट करेगा।	
5.	सहायक लेखा अधिकारी	2	—	—	100%		अधीनस्थ लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
6.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	—	—	100%		योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से प्रतिनियुक्ति के लिए आरक्षित
7.	सहायक प्रोग्रामर	1	—	100%	—		
8.	शीघ्रलेखक	2	100%	—	—	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो - अध्यक्ष 2. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई तकनीकी अधिकारी-सदस्य 3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी-सदस्य	
9.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	4	100%	—	—	1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के वेतनमान से	

							कम वेतनमान का न हो- अध्यक्ष 2. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई तकनीकी अधिकारी- सदस्य 3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी-सदस्य
	10. सहायक ग्रेड-दो	1	-	100%	-		
	11. सहायक ग्रेड-तीन	3	75%	25%	-		1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो- अध्यक्ष 2. आयुक्त / संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो -सदस्य 3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी-सदस्य
	12. वाहन चालक	2	100%	-	-		1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक

							<p>/उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो- अध्यक्ष</p> <p>2. आयुक्त / संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो-सदस्य</p> <p>3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी-सदस्य</p>
	13. भृत्य	3	100%	-	-		<p>1. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक/उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो-अध्यक्ष</p> <p>2. आयुक्त / संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, जो संयुक्त संचालक / उप संचालक के वेतनमान से कम वेतनमान का न हो-सदस्य</p> <p>3. आरक्षित प्रवर्ग से एक प्रतिनिधि अधिकारी-सदस्य</p>

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वित्त विभाग	छत्तीसगढ़ वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली सेवा	प्रोग्रामर	21 वर्ष	30 वर्ष	1.(क) कम्प्यूटर साईंस में इंजीनियरिंग की उपाधि अथवा (ख)कम्प्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर उपाधि
		डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री में 8,000 (Key) की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)
		शीघ्रलेखक	-तदैव-	-तदैव-	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था /शीघ्रलेखन (शार्टहैंड) मुद्रलेखन परिषद् से:-

					<p>(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिए— हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p> <p>(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिए— अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p> <p>(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिए— ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण एवं शीघ्रलेखन (शार्टहेण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p> <p>(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 (Key) की डिप्रेसन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>
		सहायक ग्रेड-तीन	-तदैव-	-तदैव-	<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण।</p> <p>(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।</p> <p>(3) हिन्दी कम्प्यूटर टाइपिंग में 5,000 (Key) की डिप्रेसन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जायेगी)।</p>

		वाहन चालक	-तदैव-	-तदैव-	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्थान से 8वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण तथा हल्के मोटरयान चालन में वैध ड्राइविंग लायसेंस होना चाहिए।
		भृत्य	-तदैव-	-तदैव-	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्थान से 5वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

टीप:- छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा, राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिल होगी।"

No. F 2-12/2013/Estt./IV.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Directorate, Chhattisgarh Financial Management and Information System Services (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2012, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For Schedule-I, II and III the following shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I
(See Rule 5)

Classification of Service, Pay scale and Number of Posts included in the Service

S. No.	Name of the Post included in the Service	Number of Posts			Classification	Pay-Scale	Grade Pay
		Permanent	Temporary	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Joint Director	-	1	1	Gazetted Class I	15600-39100	7600
2.	Deputy Director, Finance	-	1	1	Gazetted Class I	15600-39100	6600
3.	Statistical Officer	-	1	1	Gazetted Class II	15600-39100	5400
4.	Programmer	-	1	1	Gazetted Class II	15600-39100	5400
5.	Assistant Account Officer	-	2	2	Non-Gazetted Class III	9300-34800	4300
6.	Assistant Statistical Officer	-	1	1	Non-Gazetted Class III	9300-34800	4300
7.	Assistant Programmer	-	1	1	Non-Gazetted Class III	9300-34800	4300
8.	Stenographer, Hindi	-	1	1	Non-Gazetted Class III	5200-20200	2800
9.	Stenographer, English	-	1	1	Non-Gazetted Class III	5200-20200	2800
10.	Data Entry Operator	-	4	4	Non-Gazetted Class III	5200-20200	2400

11.	Assistant Grade-II		1	1	Non-Gazetted Class III	5200-20200	2400
12.	Assistant Grade-III	-	3	3	Non-Gazetted Class III	5200-20200	1900
13.	Driver	-	2	2	Non-Gazetted Class III	5200-20200	1900
14.	Peon	-	3	3	Non-Gazetted Class IV	4750-7440	1300

SCHEDULE-II
(See Rule 6)
Process of Recruitment

Name of the Department	Name of Service	Name of Post in Service	Number of Posts in Service	Percentage of the number of posts to be filled in			Members of Committee for Direct Recruitment	Remarks
				By direct recruitment /selection vide Rule 6(1)(a)	By promotion vide Rule 6(1)(b)	By transfer or deputation vide Rule 6(1)(c)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Finance Department	Chhattisgarh Financial Management and Information System Service	1. Joint Director	1	-	-	100%		Reserved for Deputation from State Finance Services
		2. Deputy Director, Finance	1	-	-	100%		Reserved for Deputation from State Finance Services
		3. Statistical Officer	1	-	-	100%		Reserved for Deputation from Planning, Economics and Statistics Department
		4. Programmer	1	100%	-	-	1. Chairman, Public Service Commission or member of Commission nominated by him/her - Chairman 2. Principal Secretary /Secretary, Finance Department -Member 3. Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh-Member 4. If there is no representation of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes in the aforesaid Committee, the Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh shall nominate senior officer from reserved class.	

	5. Assistant Accounts Officer	2	-	-	100%		Reserved Deputation from Sub-ordinate Account Services
	6. Assistant Statistical Officer	1	-	-	100%		Reserved for Deputation from Planning, Economics and Statistics Department
	7. Assistant Programmer	1	-	100%	-		
	8. Stenographer	2	100%	-	-		1. Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh- Chairman 2. Any Technical Officer nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh- Member 3. A representative Officer from Reserved Class - Member
	9. Data Entry Operator	4	100%	-	-		1. Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh- Chairman 2. Any Technical Officer nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh- Member 3. A representative Officer from Reserved Class - Member
	10. Assistant Grade-II	1	-	100%	-		
	11. Assistant Grade-III	3	75%	25%	-		1. Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh- Chairman 2. Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Commissioner/ Director Treasury, Accounts and Pension, Chhattisgarh- Member 3. A representative Officer from Reserved Class - Member

		12. Driver	2	100%	-	-	<p>1. Any officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh-Chairman</p> <p>2. Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Commissioner/ Director Treasury, Accounts and Pension, Chhattisgarh-Member</p> <p>3. A representative Officer from Reserved Class-Member</p>
		13. Peon	3	100%	-	-	<p>1. Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Director, Financial Management and Information System, Chhattisgarh-Chairman</p> <p>2. Any Officer not below the pay scale of Joint Director/ Deputy Director, nominated by Commissioner/ Director Treasury, Accounts and Pension, Chhattisgarh-Member</p> <p>3. A representative Officer from Reserved Class - Member</p>

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Name of the Department (1)	Name of Service (2)	Name of Post in Service (3)	Minimum Age Limit (4)	Maximum Age Limit (5)	Prescribed Educational Qualification (6)
Finance Department	Chhattisgarh Financial Management and Information System Service	Programmer	21 years	30 years	1.(a) Bachelor of Engineering in Computer Science OR (b) Master Degree in Computer Applications
		Data Entry Operator	18 years	30 years	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University, OR Passed 10th Examination and three year diploma from any recognized institute. (2) One year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 8,000 (Key) depression per hour in Hindi and English (efficiency test for speed shall be taken).
		Stenographer	...do...	...do....	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) From any recognized Board/Institute /Stenography (Shorthand) Typing Council:- (a) For Stenographer (Hindi)- Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (b) For Stenographer (English)- Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (c) For Bilingual Stenographer- Passed Certificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken). (3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken).

		Assistant Grade III	..do...	...do....	(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination with First year examination of Graduation Course from any recognized University. (2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute. (3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken).
		Driver	..do...	...do....	Should have passed 8th Class Examination from Board/Institution recognized by Government and should possess a valid L.M.V. Driving License.
		Peon	..do...	...do....	Should have passed 5th Class Examination from Board/Institution recognized by Government.

Note:- The maximum age limit for candidates of domicile of Chhattisgarh State shall be relaxed in accordance with the directions issued by the General Administration Department of State Government, from time to time."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 5 अप्रैल 2014

क्रमांक/86/भू-अर्जन/कोरिया 2012-2013. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	खरला	0.14	कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन संभाग, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (छ.गं.)	मुड़धोवा व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.